



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 206 राँची, शुक्रवार, 16 चैत्र, 1946 (श०)
5 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 जनवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-48/2020 का.-8425 (HRMS)-- श्रीमती वन्दना शेजवलकर, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-229/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चास, बोकारो के विरुद्ध उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-2831, दिनांक 10.08.2020 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध मुख्यतः निम्न आरोप प्रतिवेदित किया-

1. श्रीमती शेजवलकर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नाजायज तरीके से रैयती जमीन पर अन्य पक्ष को दखल दिलाने की इच्छा से पत्रांक-1266 दिनांक 28.06.2018 निर्गत किया गया। तत्कालीन अपर समाहर्ता बोकारो द्वारा अंचल अधिकारी, चास के विवादित आदेश दिनांक 28.06.2018 को निरस्त करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी और अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि वे विवादित जमीन पर विविध वाद अभिलेख खोलकर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार अंतिम आदेश पारित किया जाए। परन्तु अपर समाहर्ता बोकारो के आदेश के बावजूद अंचल अधिकारी चास द्वारा न तो विधिवत सुनवाई की गई और न ही आदेश पारित किया गया।

2. श्री गुरूपद सिंह से 50,000/- अवैध राशि की मांग करने एवं पूर्व में तैयार जांच प्रतिवेदन को बदलकर नया प्रतिवेदन भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास को भेजना ।

3. नए सर्वे के आधार पर पंजी-2 का डिजिटाइजेशन नहीं करने, अंचलाधिकारी द्वारा सभी निर्देशों को नजर अंदाज कर मनोनुकूल तरीके से कार्य करने, उनके कार्यकाल दिनांक 12.05.2016 से 27.02.2019 तक में ऑनलाइन पंजी -2 में सुधार नए सर्वे के आधार पर शून्य के बराबर रहने एवं पिक एंड चूज कर ऑनलाइन सुधार कर काम करना ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4449, दिनांक 08.09.2020 द्वारा श्रीमती शेजवलकर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती शेजवलकर के पत्र दिनांक 10.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. अपर समाहर्ता के कार्य रोकने के आदेश के अनुपालन में इनके द्वारा कभी भी उक्त आदेश के विरुद्ध कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया। जहाँ तक सुनवाई का प्रश्न है, उसी समय अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी अनेक पत्राचार अपर समाहर्ता के आदेश के विपरीत निर्गत किए गए। अतः एक ही विषय पर वरीय पदाधिकारियों द्वारा संबंधित विषय पर अलग-अलग तरह के आदेश के कारण विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि किस आदेश का अनुपालन किया जाए और किस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाए। चूंकि दोनों ही उनके वरीय पदाधिकारी के आदेश थे ।

2. गुरूपद सिंह से 50,000/- की मांग का आरोप बिल्कुल झूठा है तथा सत्य से परे है। उन्होंने यह आरोप सिर्फ इसलिए लगाया कि क्योंकि प्रतिवेदन उनके हित में/मन मुताबिक नहीं समर्पित किया गया था । इसलिए उनके द्वारा बदले की भावना से गलत आरोप लगाया गया है। तथाकथित प्रतिवेदन को उन्होंने न तो कभी देखा न ही हस्ताक्षर किया। कभी दो प्रतिवेदन बनाया ही नहीं गया। अतएव प्रतिवेदन बदलना अथवा दूसरा प्रतिवेदन बनाने की बात कपोल कल्पित थे एवं सरासर झूठ है ।

3. रजिस्टर-2 का जो पृष्ठ सही स्थिति में थे। उनका डिजिटाइजेशन किया गया परंतु जो पृष्ठ फटे हुए थे, उसका नहीं हो सका। डिजिटाइजेशन का कार्य अंचल अधिकारी के द्वारा नहीं कराया जा रहा था अपितु स्वयं अपर समाहर्ता के दिशानिर्देश में उनके तरह चयनित एजेंसी के द्वारा कराया गया था तथा अधूरा डिजिटाइजेशन का आरोप इन पर लगाना सही प्रतीत नहीं होता है।

श्रीमती शेजवलकर के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-4640, दिनांक 07.09.2021 द्वारा उपायुक्त, बोकारो से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-2550, दिनांक 01.08.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

उपायुक्त, बोकारो द्वारा वर्तमान अंचल अधिकारी चास के पत्रांक-1918 दिनांक 12.07.2023 से उपलब्ध कराए गए मंतव्य/प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी पदाधिकारी को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रथम आरोप से संबंधित मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है, जो माननीय व्यवहार न्यायालय बोकारो में विचाराधीन है। ऐसे में उनके स्तर से कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन

अंचल अधिकारी, चास द्वारा विविध वाद खोलकर उभय पक्षों की सुनवाई कर आदेश पारित करने का औचित्य प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है ।

आरोप सं0-2 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वार्थपूर्ति नहीं होने की स्थिति में आरोप लगाया गया है, जो तथ्यहीन है एवं आरोप सं0-3 के संदर्भ में प्रतिवेदित है कि वर्तमान में भी खमारबेन्दी मौजा का रजिस्टर-2 फटा हुआ/क्षतिग्रस्त है, जिससे उक्त मौजा का डिजिटাইजेशन का कार्य नहीं किया जा सका है ।

श्रीमती शेजवलकर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, बोकारो से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी ।

अतः समीक्षोपरांत उपायुक्त, बोकारो के मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती वन्दना शेजवलकर, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-229/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चास, बोकारो को आरोप मुक्त किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	VANDANA SHEJWALKAR 110041163080	श्रीमती वन्दना शेजवलकर, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-229/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चास, बोकारो को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
